जैविक खेती कोरिडोर योजना

अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम 2019–20

कार्यान्वयन अनुदेश

1. परिचयः–

हरित क्रांति (1966–67) के बाद खाद्यान्न उत्पादन में काफी तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग के फलस्वरूप मिट्टी, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण अनेक बिमारियाँ एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ती जा रही है, जिसके समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलायी जा रही है।

जैविक खेती के लिए बिहार सरकार द्वारा गंगा के किनारे के 12 (बारह) जिलों यथा–पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगुसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर एव नालंदा में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कलस्टर/समूह में जैविक खेती किया जायेगा। एक कलस्टर न्यूनतम 25 एकड़ का होगा। कलस्टर के चयनित खेतों को जैविक रूप में परिवर्तित करने में कम–से–कम तीन साल का समय लगता है। प्रथम साल पूर्ण होने पर C-1, दूसरे साल C-2, तीसरे साल C-3 (पूर्ण जैविक) का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अंगीकृत कलस्टर को जैविक का दर्जा दिये जाने हेतु उसका प्रमाणीकरण का कार्य अनिवार्य है, जिसे बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (BSSOCA) द्वारा किया जायेगा।

2. कार्यक्रम का मुख्य बिन्दूः–

I. अंगीकरण हेतु जैविक उपादान के लिए अग्रिम इनपुट अनुदान 11,500 रू0/एकड़ दिया जायेगा। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जायेगा।
II. एक कलस्टर न्यूनतम 25 एकड़ का होगा, जिसमें न्यूनतम 25 कृषक सम्मिलित होंगें।
III. प्रथम वर्ष में चयनित कलस्टरों में सब्जी की खेती किया जायेगा।
IV. चयनित कलस्टरों का प्रमाणीकरण का कार्य BSSOCA द्वारा किया जायेगा।
V. जैविक खेती हेतु किसानों की क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
VI. राज्य एवं जिला स्तर पर प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) का गठन किया जायेगा।
VII. जीविका समूहों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा।
VIII. कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत जानकारी का उल्लेख आगे की कंडिकाओं में किया गया है।

3. जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएँ एवं इसका उद्देश्यः–

कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप (2017–22) बनाया गया है जिसमें जैविक खेती को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। जैविक खेती की प्रमुख विशेषताएँ एवं इसका उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

- कृषि पारिस्थितिकी प्रणाली (Agro-ecosystem) प्रबंधन द्वारा कृषि को दीर्घकालीन एवं टिकाऊ बनाना।
- मिट्टी की स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता का संरक्षण एवं वृद्धि करना।
- सतही एवं भूजल को भारी धातु एवं दूसरे हानिकारक तत्वों/पदार्थों से दोष मुक्त कराना।
- मिट्टी, जल एवं वायु को रसायन के दुष्प्रभाव से मुक्त कराना।
- रसायन मुक्त/विषमुक्त खाद्यान्न का उत्पादन करना।
- मानव एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

- उत्पादन लागत मूल्य को कम करना।
- रोजगार का सृजन करना एवं सुविधा उपलब्ध कराना।

4. योजना का क्रियान्वयनः–

इस योजनान्तर्गत चयनित जिलों के चयनित समूह/कलस्टर में प्रथम वर्ष में सब्जी की जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। योजना की सफलता को देखते हुए भविष्य में सब्जी के अलावे अन्य फसलों को भी आच्छादित किया जा सकेगा।

योजना के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य के अनुरूप समूह का गठन किया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी जिला में जैविक खेती की संभावनाओं के आधार पर सामान्यतया 1–2 प्रखंडों में कलस्टरों का ही चयन करेंगे, ताकि क्रियान्वयन में आसानी हो। कोशिश करना है कि कलस्टर लगातार हो ताकि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में सुविधा हो सके।

5. प्रत्यक्षण हेतु कृषक/उत्पादक समूह का क्षेत्र चयन की प्रक्रियाः–

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) की धारा/खंड–05 के अनुसार समूह बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का पूर्णतः पालन किया जायः–

5.1 समूह के गठन हेतु ऐसे क्षेत्र/ग्राम का चयन किया जाय जहॉ सामान्यतया काफी कम मात्रा में रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरकों तथा कीटनाशियों का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है। ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों का प्रयोग करने वाले क्षेत्रों का चयन करने पर प्रथम वर्ष उत्पादकता कम होने की संभावना होती है परन्तु दूसरे वर्ष से उत्पादकता स्थिर हो जायेगी तथा तीसरे एवं आगे आने वाले वर्षो में उत्पादकता में धीरे–धीरे वृद्धि होगी।

5.2 क्षेत्र समूह के सभी किसानों का खेत एक ही भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हो।

5.3 उस क्षेत्र में समूह के सभी किसान एक ही प्रकार की फसल पद्धति अपनाते हों

5.4 सभी किसान एवं उनके खेत सामान्यतया 2–3 किलोमीटर के अन्तर्गत अवस्थित हों ताकि एक स्थान पर विचार–विमर्श करने हेतु किसान आसानी से उपस्थित हो सकें।

5.5 एक कृषक समूह में कम से कम 25 एवं अधिक से अधिक 500 किसान होंगे। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जायेगा। जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु एक कलस्टर का न्यूनतम रकबा 25 एकड़ का होगा। कलस्टर में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान द्वारा जैविक खेती स्वयं अपनी व्यवस्था से करायेंगें, परन्तु शेष रकबा का प्रमाणीकरण बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पटना द्वारा निःशुल्क किया जायेगा। किसानों की संख्या ज्यादा होने पर निबंधन एवं प्रमाणीकरण में कम खर्च आएगा एवं निरीक्षण में आसानी होगी।

5.6 अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु कलस्टर का चयन केन्द्र प्रायोजित योजना पी0के0भी0वाई0 (परम्परागत कृषि विकास योजना) एवं नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत संचालित कलस्टर के गॉवों को छोड़कर की जायेगी।

5.6 समूह का क्षेत्र सड़क के किनारे अवस्थित हों जिससे पर्यवेक्षण एवं जैविक उत्पादों की बिक्री में आसानी हो तथा अगल–बगल के किसान भी इसे देखकर इसका महत्व समझ सकें तथा जैविक खेती को अपना सकें।

5.7 प्रत्येक समूह के साथ आवश्यकतानुसार किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक को रिसोस पर्सन के रूप में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सम्बद्ध किया जायेगा, जो इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे।

6. जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत किसानों के चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी–

(क) क्षेत्र समूह के सभी किसानों का खेत एक ही भौगोलिक एवं जलवायु क्षेत्र में अवस्थित हो।

(ख) जैविक खेती करने हेतु कृषक/उत्पादक समूह के साथ किसान एकरारनामा करने हेतु तैयार हों।

(ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) द्वारा निर्धारित मानकों तथा ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान के अनुसार जैविक खेती करने हेतु तैयार हों।

(घ) संबंधित किसान मिट्टी, जल, भारी धातु, उत्पाद के गुणवत्ता की जॉच, कीटनाशियों के अवशेष प्रभाव, आदि की जॉच कराने हेतु तैयार हों।

(ड.) जिलान्तर्गत लाभुकों के चयन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कम–से–कम 17 प्रतिशत कृषक को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय तथा 33 प्रतिशत महिलाओं, पिछड़े वर्गो एवं अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाय।

(च) प्रत्यक्षण आयोजन हेतु चयनित कृषक/कृषक समूह द्वारा भूमि, श्रम, जुताई, सिंचाई, फसल की कटनी, दौनी एवं अन्य संसाधन स्वयं उपलब्ध कराना होगा।

(छ) कृषक आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली के लिए निर्धारित मानकों को पालन करने हेतु तैयार हों।

(ज) कृषक/उत्पादक समूह के किसान अपने उत्पादन का प्रमाणीकरण कराने हेतु तैयार हों।

7. कृषक/उत्पादक समूह के गठन की प्रक्रियाः–

कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार किसानों को जैविक खेती करने हेतु ग्राम स्तर पर जागृति पैदा करेंगे। ईच्छुक किसानों की एक सामूहिक बैठक आयोजित की जायेगी तथा समूह का गठन किया जायेगा। समूह के गठन हेतु बैठक की कार्यवाही का प्रपत्र **अनुसूची–06** के रूप में संलग्न हैं। समूह के सभी सदस्यों की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार होगी। अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अधिक बैठकें भी बुलाई जा सकती है। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही पंजी में संधारित होगी। ऐसे किसानों की सूची निर्धारित प्रपत्र में रिसोर्स पर्सन द्वारा तैयार की जायेगी। किसानों की सूची एवं अन्य कागजात तथा निर्धारित निबंधन शुल्क की राशि प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक (आत्मा) को भेजी जाएगी। परियोजना निदेशक (आत्मा) द्वारा कृषक/उत्पादक समूह का निबंधन कराया जाएगा। पूर्व में निबंधित कृषक/उत्पादक समूह/SHG/JLG/FIG/किसान क्लब/जीविका के समूह/पैक्स/कॉम्फेड की दुग्ध सहकारी समितियों/बिहार सरकार के किसी भी विभाग में बनी एवं निबंधित FPO, FPC आदि को भी इस कार्य हेतु सम्मिलित किया जा सकता है, जिनको जैविक खेती करने हेतु किसी स्तर से इस वर्ष अनुदान नहीं दिया गया हो। सहायक/उप/संयुक्त/महानिबंधक द्वारा निबंधित सहकारी समितियों को भी जैविक खेती हेतु चयन/सम्मिलित किया जा सकता है। कृषि कार्य मौसम के अनुसार होता है इसलिए इच्छुक समूह के निबंधन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर जैविक खेती का कार्य शुरू कराया जा सकता है। चयनित समूह की सूचना कृषकों की सूची सहित BSSOCA को भी देनी होगी ताकि उनके द्वारा कृषकों/कृषक समूह का निबंधन प्रमाणीकरण हेतु किया जा सके। जिला कृषि पदाधिकारी स्तर से नामित पदाधिकारी द्वारा जैविक सिस्टम प्लान बनाकर समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा। समूह के सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता समूह के नाम से खोला जाएगा तथा तथा समूह के नाम से पैन कार्ड बनाया जाएगा। इसके बाद जैविक खेती का कार्य संबंधित समूह द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। समूह के सभी कागजातों का संधारण ICS प्रबंधक द्वारा किया जायेगा एवं रखा जाएगा, ताकि प्रमाणीकरण संस्था के पदाधिकारी को बाद में इसे दिखाया जा सके।

8. कृषक/उत्पादक समूह के जैविक खेती हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन एवं कागजातों के संधारण की प्रक्रिया–

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) की धारा 05 के अनुसार जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण कार्य हेतु सभी उत्पादक/कृषक समूह को स्वयं आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली स्थापित करनी होती है। आंतरिक गुणवत्ता प्रणाली में निम्नलिखित मानकों का संधारण करना आवश्यक होता है–

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन।
- आंतरिक मानक।
- जोखिम (Risk) का मूल्यांकन

समूह के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संचालन हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधक, आंतरिक निरीक्षक, अनुमोदन प्रबंधक/समिति, क्षेत्र पदाधिकारी तथा क्रय पदाधिकारी

आदि के चयन/नियोजन की आवश्यकता होती है। कृषक/उत्पादक समूह अपने बल–बूते पर उपर्युक्त व्यक्तियों को रखने में असमर्थ होते हैं, जिसके फलस्वरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का प्रबंधन एवं कागजातों का संधारण सही ढ़ंग से नहीं होता है जिसके फलस्वरूप उत्पादों का प्रमाणीकरण भी बाह्य एजेंसी द्वारा नहीं हो पाता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का कार्य एवं अभिलेखों का संधारण विभागीय स्तर पर करने का निर्देश दिया गया है ताकि समूह को इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। कृषक उत्पादक समूह के स्तर पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना हेतु अपेक्षित संरचना का विवरण अनुलग्नक सं0–03 के रूप में संलग्न है। इसके अनुसार उपर्युक्त कार्यो के लिए पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से अधिकृत किया गया है–

(i) मोटिभेटर (उत्प्रेरक):–

उत्प्रेरक का कार्य पंचायतों में कार्यरत किसान सलाहकार द्वारा किया जाएगा, जिनका प्रमुख कार्य निम्नलिखित होगा–

- किसानों के बीच जैविक खेती करने की जागृति पैदा करना।
- कृषक/उत्पादक समूह बनाने में कृषकों को सहयोग करना।
- फसलवार रकबा के साथ किसानों की सूची तैयार करना।
- समूह के मासिक बैठक में भाग लेना और बैठक पंजी का संधारण कराना।
- समूह के बचत खाता खोलने में मदद करना।
- समूह का PAN CARD का बनवाना।
- समूह का कृषक के साथ एकरारनामा करना।
- कृषक डायरी का संधारण कराना।
- जैविक उपादान वितरण में मदद करना।
- ग्राम नक्शा के साथ किसान के प्रक्षेत्र का MAP बनाना।
- क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त कृषि समन्वयक को सहयोग करना तथा उनके एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के देख–रेख में जैविक खेती कराना।
- समूह के किसानों के प्रक्षेत्रों का समेकित दृश्य मैप (over view map) बनवाना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ कराना।
- जैविक खेती का प्रशिक्षण हेतु कृषकों को प्रेरित करना।

(ii) क्षेत्र पदाधिकारी:–

संबंधित पंचायत के कृषि समन्वयक, क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगें। कृषि समन्वयक संबंधित समूह के रिसोर्स पर्सन होंगे, जो आवंटित कार्यो का संपादन करेंगे एवं निम्नलिखित कागजातों का संधारण करेंगें–

- कृषक/उत्पादक समूह के गठन संबंधी बैठक की कार्यवाही की प्रति संधारित करना।
- जैविक फसलवार रकबा के साथ किसानों की सूची तैयार करना।
- समूह का वैधानिक संस्था से निबंधन कराना।
- समूह के प्रक्षेत्रों का समेकित दृश्य मैप (over view map) तैयार करना।
- समूह का बचत खाता संख्या एवं पैन संख्या संबंधी कागजातों का संधारण।
- आई0 सी0 एस0 समूह का कृषक के साथ जैविक खेती करने का एकरारनामा की प्रति।
- जैविक सिस्टम प्लान की प्रति।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत कृषक पंजीकरण फार्म का संधारण।
- जैविक खेती का प्रशिक्षण संबंधी कागजातों की प्रति का संधारण।

(iii) आंतरिक निरीक्षक:–

आंतरिक निरीक्षक का कार्य समूह द्वारा चयनित योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो क्षेत्र पदाधिकारी एवं उत्प्रेरक के माध्यम से कृषक समूह द्वारा किए/कराये गये जैविक

खेती एवं कागजातों के संधारण का आंतरिक निरीक्षण करेंगें तथा निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन समिति को उपलब्ध करायेगे। निरीक्षण करते समय समूह के सभी किसानों के सभी खेतों का भ्रमण करेंगे तथा संबंधित किसानों से एवं अगल–बगल के किसानों से पूछताछ करेंगे कि किसान द्वारा रासायनिक एवं कृत्रिम उर्वरक तथा कीटनाशी का व्यवहार किया गया है अथवा नहीं।

(iv) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधकः (ICS Manager) –

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधक का कार्य समूह के सचिव द्वारा किया जायेगा। ICS Manager द्वारा निम्नलिखित ऑकड़ों को कम से कम पॉच (05) साल तक संधारित करना आवश्यक होगा। कृषक समूह ग्रुप का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना अनूसूची–04 पर संलग्न है।

(क) समूहवार, कृषकवार किसानों की सूची जैविक फसल का नाम, रकबा, भूमि संबंधी विवरण।
(ख) समूह का over view मैप (फार्म का समेकित दृश्य मैप)
(ग) समूह के गठन संबंधी कार्यवाही की प्रति।
(घ) समूह का चालू/बचत खाता सं0 एवं पैन कार्ड सं0 की प्रति।
(ड.) समूह के साथ किसान का जैविक खेती करने संबंधी एकरारनामा।
(च) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन संबंधी अभिश्रव/पंजी।
(छ) कृषकों को जैविक उपादान उपलब्ध कराये गये/वितरित किये गये उपादानों की सूची।
(ज) आंतरिक निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन।
(झ) फसल जॉच कटनी/उत्पादकता संबंधी प्रतिवेदन।
(ट) जैविक सिस्टम प्लान की प्रति।
(ठ) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अंतर्गत कृषक पंजीकरण फार्म की प्रति।

(v) अनुमोदन समितिः–

कृषक समूह स्तर पर एक अनुमोदन समिति होगी। यह समिति क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा कराये गये कार्यो एवं आंतरिक निरीक्षक द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन तथा उनके द्वारा भेजे गए उपर्युक्त अभिलेखों की जॉच करेगी। उपर्युक्त अभिलेख राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में अंकित नियमावली के अनुसार पाये जाने पर इसका अनुमोदन करेगी। नियमानुसार नहीं पाये जाने पर वांछित/संशोधित कागजातों की मॉग की सूचना संबंधित समिति को देगी। पुनः समिति द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निबंधन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

अनुमोदन समिति के अनुमोदन के पश्चात् Tracenet पर आँकड़े भी प्रविष्टि आई0सी0एस0 प्रबंधक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु कृषक समूह को निबंधन के पश्चात् BSSOCA द्वारा User ID तथा Password दिया जायेगा।

9. अनुदान वितरण की प्रक्रिया–

अंगीकरण हेतु इनपुट के रूप में समूह के चयनित कृषकों को समूह के आंतरिक प्रबंधन प्रणाली के गठन होने के उपरांत 11,500 रू0/एकड़ की दर से उनके आधार जनित बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से अंतरण किया जायेगा।

दूसरे वर्ष एवं तीसरे वर्ष के लिए इनपुट अनुदान राशि उनके द्वारा क्रमशः प्रथम वर्ष का C-1 एवं द्वितीय वर्ष C-2 प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद उनके खाते में भुगतान किया जायेगा। एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का अनुदान देय होगा। इनपुट की राशि का उपयोग अनुलग्नक–02 में वर्णित विभिन्न घटकों पर की जायेगी। वर्णित घटकों से संबंधित उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के मानक के अनुसार होना चाहिए। उपयोग एवं उपयोग नहीं किये जाने वाले उत्पादों की सूची अनुलग्नक–07 पर संलग्न है।

10. लक्ष्य का निर्धारण–

जैविक खेती का अंगीकरण हेतु कार्यक्रमवार अनुसूची–01 पर, इनपुट अनुदान की विवरणी अनुसूची–02 पर तथा जिलावार लक्ष्य अनुसूची–03 पर संलग्न है।

11. प्रमाणीकरण हेतु उत्पाद जैविक होने की अवधि–

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जैविक उत्पाद के उत्पादन हेतु मिट्टी को रसायनों से मुक्त अर्थात् जैविक बनाना होता है।

जैविक खेती के प्रबंधन से लेकर प्रमाणीकरण होने तक की अवधि को जैविक उत्पादन की अवधि (Conversion Period) कहते हैं। यह अवधि मौसमी (Annually) फसलों के लिए दो वर्ष तथा बहुवर्षीय (Perennial) फसलों के लिये सामान्यतः तीन वर्ष की होती है, परन्तु बिहार की मिट्टी एवं जलवायु को देखते हुये मौसमी (Annually) एवं बहुवर्षीय (Perennial) फसलों के उत्पाद को पूर्णतः जैविक होने के लिए तीन वर्ष का समय निर्धारित किया जाता है।

12. कृषक/उत्पादक समूह को अनुदान देने की अवधि, शर्ते एवं प्रक्रिया–

इस योजनान्तर्गत जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन वर्षों (2019–20, 2020–21, 2021–22) के लिए किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में जिन कृषकों के जिन प्लॉटों/क्षेत्रों पर अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा उन्हीं किसानों के उन्हीं प्लॉटों/क्षेत्रों में अगले 02 वर्षों में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा, क्योंकि किसी भी खेती/प्लॉट को पूर्णतः जैविक होने में सामान्यतः तीन वर्ष लग जाता है, इसलिए प्रथम वर्ष के लिए C-1, द्वितीय वर्ष के लिए C-2 एवं तृतीय वर्ष के लिए C-3 (पूर्णतः जैविक) होने का प्रमाण पत्र किसानों/किसान समूहों को दिया जाएगा। वर्ष 2020–21 में C-1 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले किसानों को ही द्वितीय वर्ष की राशि 11,500 रू0 प्रति एकड़ एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में C-2 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले किसानों को तीसरे वर्ष के लिए 11,500 रू0 प्रति एकड़ अनुदान दिया जायेगा।

13. बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण कार्यः–

राज्य में किसानों/कृषक समूहों द्वारा किये गये जैविक खेती के प्रमाणीकरण हेतु बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा सिक्किम स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (SCOCA) से इकरारनामा कर जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जायेगा। बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा जैविक प्रमाणन कार्य हेतु एक संरचना विकसित की जायेगी जिससे अनुसूची–05 पर संलग्न किया गया है। APEDA से एक्रीडियेशन प्राप्त होने के उपरांत प्रमाणीकरण का कार्य BSSOCA द्वारा किया जायेगा। BSSOCA स्तर पर निबंधन हेतु प्राप्त किसानों/कृषक समूहों के आवेदन पत्र को Reviewer द्वारा समीक्षा किया जायेगा। इनके द्वारा जैव निरीक्षकों द्वारा दिये गये निरीक्षण प्रतिवेदन की भी जॉच की जायेगी। जैव निरीक्षकों द्वारा कृषक समूह/ICS द्वारा संधारित कागजातों की जॉच कर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा। BSSOCA द्वारा नामित Quality Manager over all गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार होंगे। समीक्षोपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन certification committee के समक्ष रखा जाएगा जो प्रमाणीकरण के संबंध में निर्णय संबंधी कमिटी के निर्णय के पश्चात् ऑकड़ों को tracenet पर अपलोड करने का कार्य हेतु विहित कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण प्रबंधक BSSOCA स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु जिम्मेवार होंगे। Certification committee/ Complaint committee के निर्णय के विरूद्ध BSSOCA के शासी निकाय में अपील किया जा सकता है।

14. दायित्वः–

14.1 कृषक का दायित्व–

(क) कृषक डायरी का संधारण करना।
(ख) जैविक सिस्टम प्लान के अनुसार जैविक खेती करना।
(ग) जैविक बीज एवं अन्य उपादानों का प्रयोग करना।
(घ) अपने क्षेत्र का मैप एवं चौहदी रखना।
(ड.) क्रय किये गये जैविक उपादानों का अभिश्रव रखना।
(च) कृषक समूह के साथ जैविक खेती करने का एकरारनामा करना एवं रखना।

14.2 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रबंधक की भूमिकाः–

1. समूह का संगठनात्मक ढ़ॉचा बनाये रखना।
2. ऑर्गेनिक सिस्टम प्लान के अनुसार जैविक खेती कराना।
3. NPOP मानक के अनुसार जैविक उपादानों का प्रयोग कराना।
4. समूह का गठन (संलग्न अनुसूची–06 के अनुसार) करना।
5. समूह का वैधानिक संस्था से निबंधन कराना एवं निबंधन प्रमाण पत्र रखना।
6. समूह का बचत खाता खोलना।
7. समूह का पैन कार्ड बनाना।
8. समूह का बैठक पंजी संधारित करना।
9. क्रय किये गये जैविक उपादानों का अभिश्रव रखना।
10. खेत की मिट्टी एवं जल का जॉच कराना।
11. समूह के सभी सदस्यों के खेत का Over view मैप बनाकर रखना।
12. जैविक उत्पादों के गुणवत्ता की जॉच निबंधित जॉच प्रयोगशाला से कराने की अनुमति देना।
13. समूह के साथ किसान का जैविक खेती करने का एकरारनामा करना।
14. समूह के सभी किसानों की सूची नाम, पता तथा फसलवार रकबा के साथ संधारित करना।
15. जैविक उत्पाद की बिक्री हेतु व्यवसायियों से सम्पर्क करना।

आंतरिक निरीक्षक का प्रतिवेदन संधारित करना।

14.3 किसान सलाहकार का दायित्वः–

❖ यह उत्प्रेरक (मोटीभेटर) का कार्य करेंगें, जिसका दायित्व निम्नवत्त होगा–

1. किसानों के बीच जैविक खेती हेतु जागृति पैदा करना एवं प्रचार–प्रसार करना।
2. कृषक/उत्पादक समूह बनाने में सहयोग प्रदान करना।
3. फसलवार रकबा के साथ किसानों की सूची तैयार करना।
4. समूह के मासिक बैठक में भाग लेना एवं बैठक पंजी का संधारण करना।
5. समूह के बचत खाता खोलने में मदद करना।
6. समूह का पैन कार्ड बनवाना।
7. समूह के कृषक के साथ एकरारनामा करना।
8. जैविक उपादान वितरण मे मदद करना।
9. जैविक खेती हेतु कृषकों को प्रेरित करना।
10. जैविक खेती के सम्पूर्ण आयामों का शत–प्रतिशत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।

14.4 कृषि समन्वयक (रिसोर्स पर्सन) का दायित्वः–

❖ यह क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जिसका दायित्व निम्नवत्त होगा–

1. किसानों के बीच जैविक खेती संबंधी जागृति पैदा करना/प्रचार–प्रसार करना।
2. जैविक खेती करने हेतु ईच्छुक किसानों की बैठक कर समूह का गठन में सहयोग करना।
3. किसानों की सूची नाम, पता एवं फसलवार रकबा के साथ तैयार कराना।
4. किसानों की सूची एवं अन्य कागजात निबंधन हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
5. समूह के बचत खाता खोलने में मदद करना तथा पैन कार्ड बनवाना।
6. उत्पादक समूह के प्रक्षेत्र का OVER VIEW (समेकित रूप से) मैप बनाना।
7. कृषक डायरी की जॉच करना।
8. NPOP मानक के अनुसार इनपुट क्रय में किसानों को सहयोग करना।
9. जैविक उपादान किसी भी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित अवश्य होना चाहिए, जिसे पैकेट पर उनके Logo से पहचाना जा सकता है।
10. फसल जॉच कटनी कर जैविक उत्पाद का आकलन करना।
11. समूह का सभी कागजात की एक प्रति समूह के अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत सदस्य के यहॉ संधारित करना।
12. समय–समय पर समूह की बैठक में भाग लेना तथा जैविक खेती संबंधी जानकारी देना।
13. जैविक खेती के सम्पूर्ण आयामों का शत–प्रतिशत पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
14. क्षेत्र का चयन करना तथा नीचे अंकित प्रपत्र में किसानों की सूची तैयार करना एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।

जिला का नाम– प्रखंड का नाम– कलस्टर का नाम

क्रं0 सं0	कृषक का नाम	पिता/ पति का नाम	ग्राम	पंचायत	प्रत्यक्षण का रकबा (एकड़ में)	कृषक का वर्गीकरण			
						अ0ज0/ अ0ज0जा0	सीमांत /लघु	अन्य	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

14.5 प्रखंड कृषि पदाधिकारी का दायित्वः–

1. रिसोर्स पर्सन के माध्यम से क्षेत्र/कृषकों का चयन करना।
2. चयनित कृषकों की सूची तैयार कराना तथा इसे जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
3. जैविक खेती का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना।
4. समूह के निबंधन हेतु सहकारिता विभाग से समन्वय स्थापित करना।
5. समूह द्वारा किये गये जैविक खेती का आंतरिक निरीक्षण करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन तथा क्षेत्र पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं अन्य कागजात जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
6. प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे तथा भौतिक रूप से चयनित कलस्टर का 50% निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को देगें।

7. जैविक खेती में समूह के किसी सदस्य द्वारा गड़बड़ी करने पर इसे सुधार हेतु चेतावनी देना तथा अनुपालन नहीं करने पर उसे समूह से निष्कासित करने की अनुशंसा करना।

14.6 जिला कृषि पदाधिकारी का दायित्वः–

1. उपादान आपूर्तिकर्त्ताओं की बैठक कर चयनित लाभार्भियों को उपादान प्राप्त करने में सहायता करना।
2. इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराना।
3. जैविक खेती से संबंधित सूचनाओं को अंकित करने हेतु विहित प्रपत्र के अनुसार एक पुस्तिका संबंधित रिसोर्स पर्सन को उपलब्ध कराना।
4. कृषक डायरी, आंतरिक निरीक्षण प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराना।
5. रिसोर्स पर्सन का क्षेत्र निरीक्षण एवं संधारित कागजात तथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी के आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों को अनमोदन समिति की बैठक में रखने हेतु निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को उपलब्ध कराना।
6. जिला कृषि पदाधिकारी जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
7. जिला कृषि पदाधिकारी कम–से–कम 10 प्रतिशत कलस्टरों का निरीक्षण करेंगे एवं प्रतिवेदन प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को सौपेंगें।
8. कृषक समूह/कृषक हेतु निर्धारित राशि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधक को उपलब्ध कराना।

14.7 परियोजना निदेशक (आत्मा) का दायित्वः–

1. जिला/प्रखंड स्तर पर जैविक खेती संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन।
2. प्रशिक्षण संबंधी कागजात का संधारण।
3. जैविक खेती का प्रचार–प्रसार।

14.8 संयुक्त निदेशक (शष्य) का दायित्वः–

1. अपने प्रमंडल अन्तर्गत जैविक खेती प्रत्यक्षण का कम से कम 5 प्रतिशत कलस्टर का पर्यवेक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि निदेशक/जैविक प्रोत्साहन कोषांग को उपलब्ध करायेंगें।
2. प्रमंडल स्तर पर जैविक उपादानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर उसका समाधान करेंगें एवं इसकी सूचना कृषि निदेशक को भी देंगें।

14.9 निदेशक, बामेती का दायित्वः–

1. जैविक खेती के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रसार सामग्री तैयार करना।
2. राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन करना।
3. राज्य से बाहर किसानों/पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराना।
4. राष्ट्र से बाहर किसानों/पदाधिकारियों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण कराना।
5. जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन कराना।

14.10 निदेशक, बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का दायित्वः–

1. जैविक उत्पादन एवं प्रमाणीकरण से संबंधित प्रशिक्षण निर्देशिका तैयार करना।
2. कृषक/समूह के जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करना।
3. राज्य स्तर पर जैविक उत्पादन एवं प्रमाणीकरण की जानकारी देना।
4. कृषक समूह के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधक को प्रशिक्षित करना।

14.11 जीविका की भूमिकाः–

1. जीविका अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (SSG) को कलस्टर निर्माण में शामिल किया जायेगा।
2. जीविका के अनुभवी सेवकों की सेवा प्रशिक्षण इत्यादि में लिया जायेगा।
3. जीविका समूह के माध्यम से प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जायेगा।

14.12 कृषि निदेशक का दायित्वः–

1. राज्य स्तर पर कृषि निदेशक, बिहार, पटना इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
2. इस पूरे कार्यक्रम का राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं समीक्षा करना तथा इसके फलाफल से विभाग को अवगत कराना।
3. विभाग/उच्च स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों को लागू कराना।
4. आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन अनुदेश में संशोधन करना।

15. पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण–

1. **किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयकः–** किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक अपने–अपने पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कलस्टर/समूह गठन इत्यादि कार्यों के लिए शत–प्रतिशत उतरदायी होंगे।
2. **प्रखंड कृषि पदाधिकारीः–** प्रखंड कृषि पदाधिकारी चयनित कलस्टर का 50 प्रतिशत निरीक्षण करेंगें एवं प्रतिवेदन जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
3. **जिला कृषि पदाधिकारीः–**
   I. जिला कृषि पदाधिकारी जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगें।
   II. जिला कृषि पदाधिकारी चयनित कलस्टरों का 10 प्रतिशत निरीक्षण करेंगें एवं प्रतिवेदन प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) को उपलब्ध करायेंगें।
4. **प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) :–**

   अपने प्रमंडल अन्तर्गत जैविक खेती प्रत्यक्षण का कम से कम 5 प्रतिशत कलस्टर का पर्यवेक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि निदेशक/जैविक प्रोत्साहन कोषांग को उपलब्ध करायेंगें।

21.11.19

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना के लिए वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक राज्य योजना के अधीन कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्यक्रम का नाम		इकाई	2019–20		2020–21		2021–22		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)
				भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में)	
1	**जैविक खेती का अंगीकरण**									
	जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट @ 11500 रू० प्रति एकड़		भौतिक (एकड़ में)	20000	2300.000	20000	2300.000	20000	2300.000	6900.000
	जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा–किसानों/ICS manager का प्रशिक्षण, मिटटी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबंधन, Documentation/Packaging/Transportation आदि		भौतिक (एकड़ में)	20000	986.000	20000	1754.800	20000	1744.000	4484.800
	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला (3 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष@25.00 लाख रू०)		भौतिक (संख्या में)	3	75.00	3	75.00	3	75.00	225.000
	राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति कलस्टर 05 किसान सात दिनों के लिए @1000 रू०/किसान प्रति दिन		भौतिक (संख्या में)	4000	280.00	0	0.00	0	0.00	280.000
	राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @5 लाख रू० प्रति किसान		भौतिक (संख्या में)	50	250.0000	50	250.0000	50	250.0000	750.000
	राज्य से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @35000 रू० प्रति पदाधिकारी सात दिनों के लिए		भौतिक (संख्या में)	10	3.50	10	3.50	10	3.50	10.500
	राष्ट्र से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण @5 लाख रू० प्रति पदाधिकारी (सं० में)		भौतिक (संख्या में)	5	25.00	5	25.00	5	25.00	75.000
	कुल				**3919.50**		**4408.30**		**4397.50**	**12725.30**
2	**जैविक खेती हेतु प्रमाणीकरण** *(प्रमाणीकरण का कार्य द्वितीय वर्ष से किया जायेगा इसलिए प्रथम वर्ष में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।)		भौतिक (एकड़ में)	20000	0.00	20000.00	100.00	20000.00	100.00	200.000
	कुल				**0.00**		**100.00**		**100.00**	**200.00**
3	**जैविक खेती हतु प्रोत्साहन एवं प्रबंधन कार्य**									
	जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन (2 मेला प्रतिवर्ष/25.00 लाख रू०) एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु		भौतिक (संख्या में)	2	50	2	50	2	50	**150.00**
	बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन		भौतिक (संख्या में)	1	100	1	100	1	100	**300.00**
	बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक)		भौतिक (संख्या में)	12	221.76	12	221.76	12	221.76	**665.28**
	राज्य स्तर पर ई–कॉमर्स के साथ वेबसाईट निर्माण/Startup support//innovation के लिए राशि		वित्तीय (लाख में)	0	400.00	0	400.00	0	400.00	1200.000
	परियोजना प्रबंधन एवं आकस्मिकता (प्रकाशन, प्रचार–प्रसार, पर्यवेक्षण आदि) (परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत)	जिला कृषि पदाधिकारी को आकस्मिकता @ 2000 रू०/कलस्टर	वित्तीय (लाख में)	800	16.00	800	16.00	800	16.00	48.000
		राज्य स्तर पर आकस्मिकता	वित्तीय (लाख में)	0	100.00	0	100.00	0	100.00	300.000
	कुल				**887.76**		**887.76**		**887.76**	**2663.28**
	कुल योग (1+2+3)		वित्तीय (लाख रू. में)		**4807.2600**		**5396.0600**		**5385.2600**	**15588.5800**

अनुसूची–02

जैविक खेती के अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक के लिए प्रति एकड इनपुट हेतु देय अनुदान की विवरणी।

क0	इनपुट के अवयव	प्रति एकड दर			अभ्युक्ति	लाभुक
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष		
1	जैविक बीज कय या जैविक नर्सरी तैयार करने हेतु (प्रति एकड़)	500	500	500	वार्षिक कार्य योजना तैयार कर उपयुक्त मिट्टी पर आधारित जैविक फसल प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक किसान सदस्य को जैविक बीज उत्पादन तथा कृषि क्षेत्र में रोपन सामग्री तैयार करने हेतु भूमि की तैयारी, पौधा संरक्षण, श्रम शुल्क एवं जैविक बीज एवं रोपन सामग्री समेत आवश्यक अन्य सामग्री हेतु राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	किसान
2	परंपरागत जैविक उपादान उत्पादन जैसे – पंचगव्य/बीजामृत/जीवामृत इत्यादि की इकाई तैयार करने हेतु (प्रति एकड़)	1000	1000	1000	प्रत्येक किसान सदस्य को जैविक उपादान तैयार करने हेतु इकाई निर्माण तथा इसके संचालन हेतु आवश्यक सामग्री (ग्लास, प्लास्टीक बोतल, ड्रम, फिल्टर, स्प्रेयर एवं अन्य सामग्री) क्रय करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।	किसान
3	जैव नेत्रजन उत्पादन हेतु पौधे लगाना, जैसे सिसबेनिया, ग्लिसिरिडिया इत्यादि (प्रति एकड़)	1000	1000	1000	नेत्रजन उत्पादक पौध लगाने के लिए प्रत्येक किसान सदस्य को बीजों/रोपन सामग्री की क्रय, भूमि/पीट की तैयारी एवं मजदूरी आदि के लिए राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	किसान
4	बोटेनिकल एक्सट्रेक्ट उत्पादन इकाई (नीम उत्पाद) (प्रति एकड़)	1000	1000	1000	प्रम्येक किसान सदस्य को वनस्पतिक एकस्ट्रैक्ट उत्पादन इकाई तैयार करने एवं इसके संचालन हेतु आवश्यक सामग्री (ग्लास, प्लास्टीक बोतल, ड्रम, फिल्टर, स्प्रेयर एवं अन्य सामग्री) क्रय करने के लिए भी सहायता प्रदान की जायेगी।	किसान
5	जैव उर्वरक /कॉन्सोर्सिया (नेत्रजन फिक्सिंग, पी0एस0बी0, के0एम0बी0) (प्रति एकड़)	1000	1000	1000	प्रत्येक किसान सदस्य को जैव उर्वरक क्रय करने एवं मिट्टी/बीज में उसके उपयोग करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी जिससे फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा।	किसान
6	जैव कीटनाशी (Trichoderma viridae, Pseudomonas fluorescens, Metarhizium , Beaviourie bassiana, acelomyces,verticillium)	700	700	700	प्रत्येक किसान सदस्य को जैव कीटनाशी क्रय करने एवं इसके उपयोग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी जिससे फसल के पौधों में लगने वाले रोगों पर नियंत्रण किया जा सके।	किसान
7	Phosphate Rich Organic Manure as per FCO specification (प्रति एकड़)	1000	1000	1000	प्रत्येक किसान सदस्य को मिट्टी में फॉस्फोरस/जैव कार्बनिक एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने हेतु Phosphate Rich Organic Manure के क्रय कर मिट्टी में इसके उपयोग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।	किसान
8	स्थानीय तरीके से आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक कीट नियंत्रण सामग्री कय हेतु (प्रति एकड़)	300	300	300	प्रत्येक किसान सदस्य को फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों पर नियंत्रण हेतु स्थानीय तरीके से आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक कीट नियंत्रक सामग्री कय हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।	किसान
9	वर्मी कंपोस्ट इकाई (Size - 7'x3'x1') प्रति इकाई 5000 रु0 HDPE/BRICKS	5000	5000	5000	प्रत्येक किसान सदस्य को मिट्टी में फॉस्फोरस/जैव कार्बनिक एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने हेतु Phosphate Rich Organic Manure के क्रय कर मिट्टी में इसके उपयोग हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।	किसान
कुल योग		**11500**	**11500**	**11500**		

नोटः–सभी उत्पादों का उपयोग राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) की मानक के अनुसार ही किया जायेगा। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) में शामिल कोई अन्य जैविक उत्पादों का उपयोग उक्त कोटि में वैकल्पिक रूप से किया जा सकता है जिसकी सूची अनुसूची–07 के रूप में संलग्न है।

अनुसूची–03(1/2)

जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 का राज्य योजना के अधीन जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में

क्रं	जिला का नाम	जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण						राज्य स्तर पर आकस्मिकता	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण/सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन		जैविक मेला एवं विपणन मीट का आयोजन एवं अन्य बाहरी मीट में भाग लेने हेतु		बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत राज्य स्तर पर PMU का गठन	
		जैविक खेती का अंगीकरण हेतु अग्रिम इनपुट		जैविक खेती का अंगीकरण हेतु प्रोत्साहन यथा–किसानों/ICS manager का प्राशिक्षण, मिटटी नमूना संग्रह, किसानों का आनलाइन निबंधन, Documentation/ Packaging/ Transportation आदि		जैविक खेती का प्रमाणीकरण	जिला कृषि पदाधिकारी को आकस्मिकता							
		भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कृषि निदेशक	0	0.0000	0	0.00	0.00	0.00	100.00	3	75.00	2	50.00	1	100.00
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	1000	115.0000	1000	49.300	0.00	0.80	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	1000	115.0000	1000	49.300	0.00	0.80	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	1000	115.0000	1000	49.300	0.00	0.80	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	2000	230.0000	2000	98.600	0.00	1.60	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	1000	115.0000	1000	49.300	0.00	0.80	0.00	0	0.000	0	0.000	0	0.000
कुल		20000	2300.0000	20000	986.00	0.00	16.00	100.00	3	75.00	2	50.00	1	100.00

जैविक खेती प्रोत्साहन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 का राज्य योजना के अधीन अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

वित्तीय इकाई–लाख रू0 में

क्रं	जिला का नाम	बिहार राज्य जैविक मिशन अन्तर्गत जिला स्तर पर PMU का गठन (प्रत्येक जिला के लिए एक)		राज्य से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्रति कलस्टर 05 किसान 07 दिनों के लिए		राष्ट्र से बाहर किसानों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण		राज्य से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण		राष्ट्र से बाहर पदाधिकारीयों का भ्रमण एवं प्रशिक्षण		राज्य स्तर पर ई–कॉर्म्स के साथ वेबसाईट निर्माण/Startup spport/Innovation के लिए	कुल वित्तीय लक्ष्य
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28
1	कृषि निदेशक	12	221.76	4000	280.00	50	250.00	10	3.50	5	25.00	400.00	1505.2600
2	जिला कृषि पदाधिकारी, पटना	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
3	जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	165.1000
4	जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
5	जिला कृषि पदाधिकारी, नालंदा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
6	जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
7	जिला कृषि पदाधिकारी, सारण	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	165.1000
8	जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
9	जिला कृषि पदाधिकारी, बेगुसराय	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
10	जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
11	जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	165.1000
12	जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	330.2000
13	जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	165.1000
	कुल	12	221.76	4000	280.00	50	250.00	10	3.50	5	25.00	400.00	4807.26

अनुसूची–04

कृषक समूह ग्रुप का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना

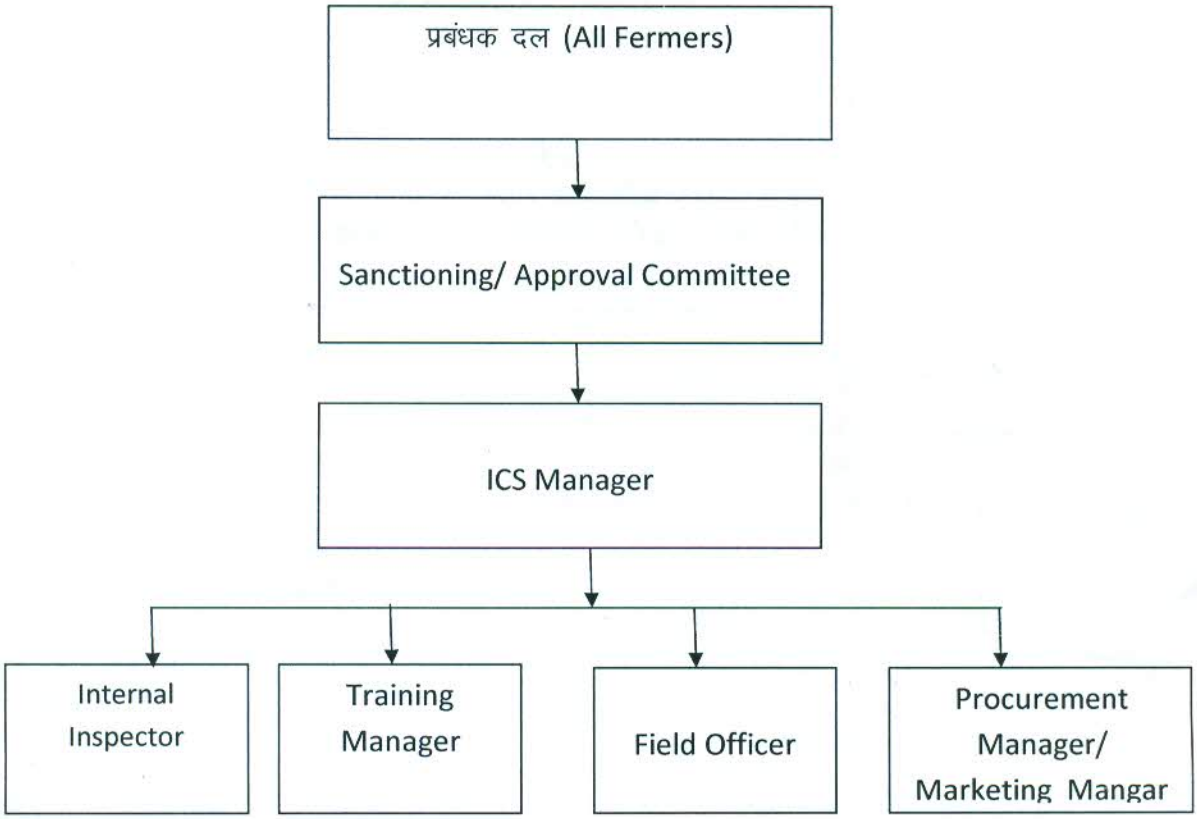

नोटः– आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संरचना समूह के सदस्यों में से ही समूह की बैठक कर किया जायेगा।

अनुसूची–05

बिहार स्टेट सीड एण्ड ऑरगेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी स्तर पर जैविक प्रमाणन कार्य हेतु संरचना

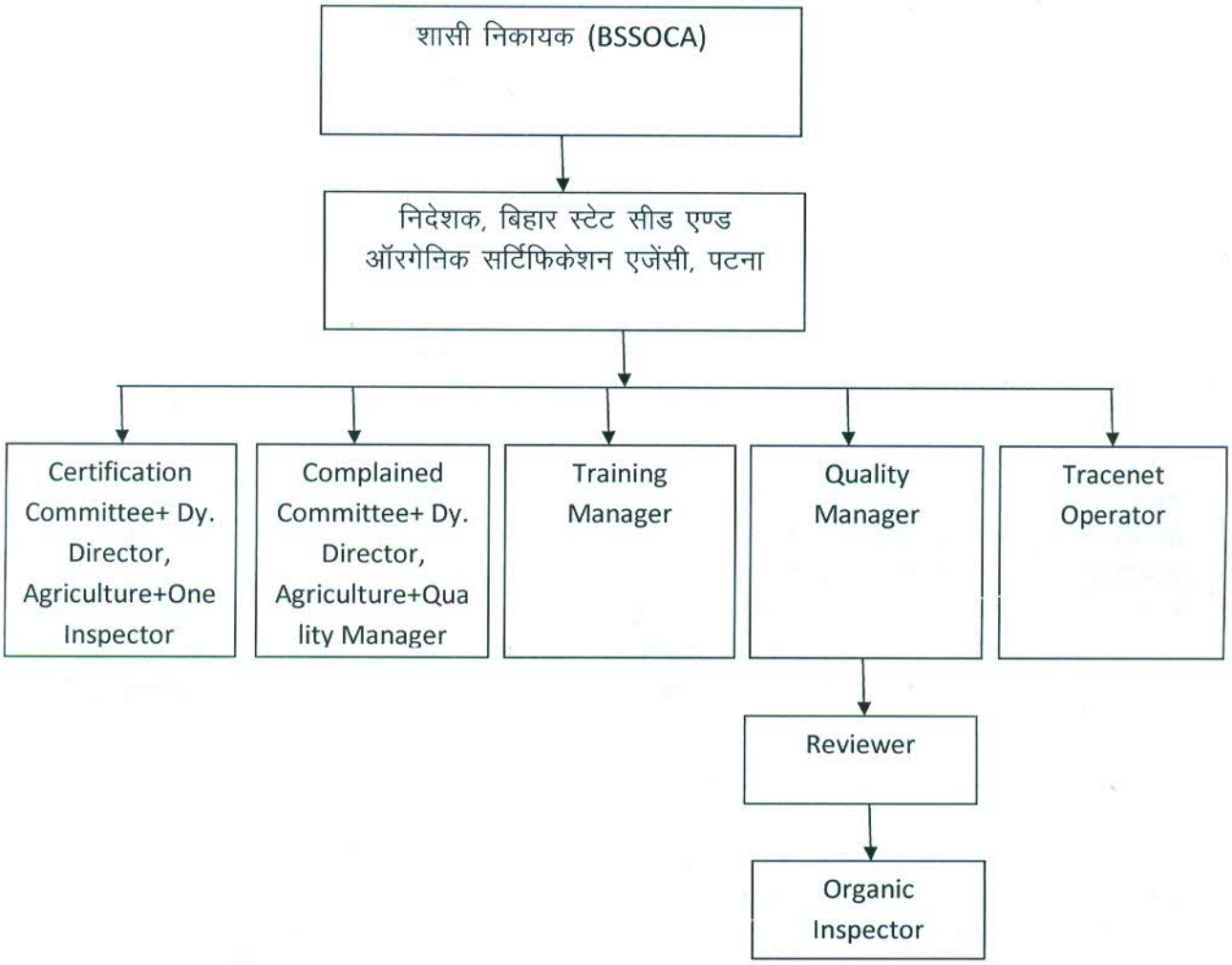

अनुसूची–06

कृषक/उत्पादक समूह गठन हेतु बैठक की कार्यवाही का प्रारूप

आज दिनांक–..... को ..... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में .....(स्थान का नाम एवं पता) जैविक उत्पादों क प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती करने के लिए ..... ग्राम के किसानों की विशेष बैठक श्री/श्रीमती/सुश्री..... की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित कृषकगण एवं आमंत्रित क्षेत्रीय पदाधिकारी भाग लिये–

क्रं0 सं0	कृषक का नाम/पिता/पति का नाम	ग्राम/ ग्राम पंचायत	प्रखंड	जैविक खेती हेतु रकबा एकड़ में	कृषक का हस्ताक्षर
1.					
2.					
3.					
4.					

बैठक की कार्यवाही

प्रस्ताव सं0 01:–

श्री/श्रीमती/सुश्री ..... द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में किसान अन्धाधुंध रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य एवं गुणवत्ता में लगातार कमी हो रही है। मिट्टी, जल एवं वायु के प्रदूषित होने से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशियों के प्रयोग से फसलों के लागत मूल्य में वृद्धि हो रही है जिससे किसान खेती करने से घबरा रहे हैं। इसलिए मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक रखने, वातावरण को संरक्षित करने, रसायन/विषमुक्त अन्न का उत्पादन करने तथा मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए जैविक खेती का किया जाना अतिआवश्यक है। जैविक खेती के लिए बिहार सरकार, कृषि विभाग द्वारा अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण योजना चलाई जा रही है जिसमें किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है। किसानों के उत्पाद को प्रमाणीकरण के लिए समूह बनाकर जैविक खेती करने पर ही अनुदान का लाभ मिलेगा।

प्रस्ताव सं0–02:– उपस्थित किसानों द्वारा विचार–विमर्श के उपरांत जैविक खेती करने का निर्णय लिया गया। जैविक खेती करने हेतु एक कृषक/उत्पादक समूह का गठन किया गया जिसका नाम..... ..... (संस्था का नाम) रखा गया।

यह समूह/समिति जैविक खेती के अलावे बीज उत्पादन, सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करेंगी। समूह/समिति को प्राप्त लाभ को सदस्यों के बीच उनके खेती के रकबा तथा पूँजी आदि के आधार पर बॉटा जायेगा।

प्रस्ताव सं0–3:– जैविक उत्पादन हेतु गठित समूह के कार्यकारिणी सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से किया गया–

क्रं0 सं0	सदस्य का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रखंड का नाम	पद
1	2	3	4	5	6	7
1						अध्यक्ष
2						सचिव
3						कोषाध्यक्ष
4						सदस्य
5						सदस्य

6						सदस्य
7						सदस्य
8						सदस्य
9						सदस्य
10						सदस्य

प्रस्ताव सं0 04:– सर्वसम्मत्ति से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधक के रूप में कार्य करने हेतु समूह के सचिव को नामित किया गया।

प्रस्ताव सं0 05:– समूह बनाकर जैविक खेती करने पर जैविक उपादानों के बिक्री होने पर बिक्री मूल्य की राशि समूह के खाते में जमा होगी जिसे कृषक के जैविक खेती के रकबा/निर्धारित शर्त्त के आधार पर संबंधित कृषक को लाभांश दी जायेगी। साथ ही विभिन्न स्त्रोतों से राशि की प्राप्ति एवं खर्च के संधारण हेतु..... ..... राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जाएगा। इस खाते का संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। इसके लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव सं0 06:– कृषक/उत्पादक समूह के गठन का निबंधन होना आवश्यक है। इसके लिए सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860/कम्पनी एक्ट/सहकारिता विभाग से निबंधन कराया जा सकता है। इसके लिए नियमावली एवं स्मृति पत्र बनाने की आवश्यकता होगी। समूह के निबंधन कराने के लिए श्री/श्रीमती/सुश्री..... ..... को प्राधिकृत किया गया।

प्रस्ताव सं0 07:– गठित समूह/समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। इस बैठक में कृषि विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार आदि को भी आमंत्रित किया जाएगा तथा कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों/नियमों की जानकारी प्राप्त की जाएगी।

प्रस्ताव सं0 08:– सर्वसम्मति से आंतरिक निरीक्षक के रूप में श्री ....., पिता–..... ग्राम..... को नामित किया गया।

प्रस्ताव सं0 09:– ICS Manager द्वारा जैविक खेती करने के पूर्व प्रत्येक कृषक को गठित समूह के साथ एकरारनामा करना होगा कि वे रासायनिक अथवा कृत्रिम खादों एवं कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कृषि विभाग के पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों द्वारा बताये गये जैविक उपादानों को अपनाकर जैविक खेती का कार्य करेंगे एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना एवं प्रबंधन तथा संबंधित कागजातों संधारण करने में मदद करेंगे तथा उसकी एक प्रति समूह के अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत सदस्य के यहाँ सुरक्षित रखेंगे।

अन्यान्यः–समिति समय–समय पर आवश्यकतानुसार अन्य समूहों/सब–समितियों/पदधारकों का चयन कर सकेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अध्यक्ष)

.....

.....

.....

ज्ञापांक...../ **दिनांक**...../

प्रतिलिपिः– जिला कृषि पदाधिकारी...../शाखा प्रबंधक...../प्रखंड कृषि पदाधिकारी..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सचिव)

.....

समूह.....

अनुसूची - 07

Annex I

Products for Use in Fertilising and Soil Conditioning

In organic agriculture the maintenance of soil fertility may be achieved through the recycling of organic material whose nutrients are made available to crops through the action of soil micro organisms.

Many of these inputs are restricted for use in organic production. In this annex "restricted" means that the conditions and the procedure for use shall be subjected to condition. Factors such as contamination, risk of nutritional imbalances and depletion of natural resources shall be taken into consideration.

Inputs	Condition for use
Matter Produced on an Organic Farm Unit	
Farmyard & poultry manure, slurry, cow urine	Permitted
Crop residues and green manure	Permitted
Straw and other mulches	Permitted
Matter Produced Outside the Organic Farm Unit	
Blood meal, meat meal, bone meal and feather meal without preservatives	Restricted
Compost made from any carbon based residues (animal excrement including poultry)	Restricted
Farmyard manure, slurry, cow urine (preferably after control fermentation and/or appropriate dilution) "factory" farming sources not permitted	Restricted
Fish and fish products without preservatives	Restricted
Guano	Restricted
Human excrement	Prohibited
By-products from the food and textile industries of biodegradable material of microbial, plant or animal origin without any synthetic additives	Restricted

Inputs	Condition for use
Peat without synthetic additives	Prohibited for soil conditioning
Sawdust, wood shavings, wood provided it comes from untreated wood	Permitted
Seaweed and seaweed products obtained by physical processes extraction with water or aqueous acid and/or alkaline solution	Restricted
Sewage sludge and urban composts from separated sources which are monitored for contamination	Restricted
Straw	Restricted
Vermicasts	Restricted
Animal charcoal	Restricted
Compost and spent mushroom and vermiculate substances	Restricted
Compost from organic household reference	Restricted
Compost from plant residues	Permitted
By products from oil palm, coconut and cocoa (including empty fruit bunch, palm oil mill effluent (pome), cocoa peat and empty cocoa pods)	Restricted
By products of industries processing ingredients from organic agriculture	Restricted
Minerals	
Basic slag	Restricted
Calcareous and magnesium rock	Restricted
Calcified seaweed	Permitted
Calcium chloride	Permitted
Calcium carbonate of natural origin (chalk, limestone, gypsum and phosphate chalk)	Permitted
Mineral potassium with low chlorine content (e.g. sulphate of potash, kainite, sylvinite, patenkali)	Restricted
Natural phosphates (e.g. Rock phosphates)	Restricted
Pulverised rock	Restricted

Inputs	Condition for use
Sodium chloride	Permitted
Trace elements (Boron, Ferrous, Manganese, Molybdenum, Zinc)	Restricted
Wood ash from untreated wood	Restricted
Potassium sulphate	Restricted
Magnesium sulphate (Epson salt)	Permitted
Gypsum (Calcium sulphate)	Permitted
Silage and silage extract	Permitted excluding Ammonium silage
Aluminum calcium phosphate	Restricted
Sulphur	Restricted
Stone meal	Restricted
Clay ((bentonite, perlite, zeolite)	Permitted
Microbiological Preparations	
Bacterial preparations (biofertilizers)	Permitted
Biodynamic preparations	Permitted
Plant preparations and botanical extracts	Permitted
Vermiculate	Permitted
Peat	Permitted

"Factory" farming refers to industrial management systems that are heavily reliant on veterinary and feed inputs not permitted in organic agriculture.

Annex2

Products for Plant Pest and Disease Control

Certain products are allowed for use in organic agriculture for the control of pests and diseases in plant production. Such products should only be used when absolutely necessary and should be chosen taking the environmental impact into consideration.

Many of these products are restricted for use in organic production. In this annex "restricted" means that the conditions and the procedure for use shall be subjected to conditions.

Inputs	Condition for use
Substances from plant and animal origin	
Azadiracta indica (neem preparations)	Permitted
Neem oil	Restricted
Preparation of rotenone from *Derris elliptica Lonchocarpus, Theplrosia spp*	Restricted
Gelatine	Permitted
Propolis	Restricted
Plant based extracts – garlic, pongamia etc.	Permitted
Preparation on basis of pyrethrins extracted from *Chrysanthemum cinerariaefolium*, containing possibly a synergist *Pyrethrum cinerafolium*	Restricted
Preparation from *Quassia amara*	Restricted
Release of parasite predators of insect pests	Restricted
Preparation from *Ryania species*	Restricted

Inputs	Condition for use
Tobacco tea	Prohibited
Lecithin	Restricted
Casein	Permitted
Sea weeds, sea weed meal, sea weed extracts, sea salt and salty water	Restricted
Extract from mushroom (Shitake fungus)	Permitted
Extract from Chlorella	Permitted
Fermented product from Aspergillus	Restricted
Natural acids (vinegar)	Restricted
Minerals	
Chloride of lime/soda	Restricted
Clay (e.g. bentonite, perlite, vermiculite, zeolite)	Permitted
Copper salts / inorganic salts (Bordeaux mix, copper hydroxide, copper oxychloride) used as a fungicide depending upon the crop and under the supervision of accredited Certification Body	Restricted
Mineral powders eg : stone meal	Prohibited
Diatomaceous earth	Restricted
Light mineral oils	Restricted
Permanganate of potash	Restricted
Lime sulphur (calcium polysulphide)	Restricted
Silicates, clay (Bentonite)	Restricted
Sodium bicarbonate	-Restricted

Inputs	Condition for use
Sulphur (as a fungicide, acaricide, repellant)	Restricted
Microorganism used for biological pest control	
Viral preparation (eg. Granulosis virus, Nuclear Polyhedrosis Virus etc.	Permitted
Fungal preparations (*Trichoderma spp.*)	Permitted
Bacterial preparations (*Bacillus spp*)	Permitted
Parasites, Predators and sterilized insects	Permitted
Others	
Carbon dioxide and nitrogen gas	Restricted
Soft soap (potassium soap)	Permitted
Ethyl alcohol	Prohibited
Homeopathic and Ayurvedic preparations	Permitted
Herbal and biodynamic preparations	Permitted
Traps	
Physical methods (Chromatic traps, Mechanical traps, sticky traps and Pheromones	Permitted